प्रेस नोट
दिनांक 30.06.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में पुलिस लाइन सभागार कक्ष में 03 नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) की कार्यशाला का आयोजन कर जनपद के राजपत्रित अधिकारियो को दिया गया प्रशिक्षणः-

गोण्डा। आज दिनांक 30.06.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के नेतृत्व में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री रामबली यादव द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में उपस्थित राजपत्रित अधिकारियों को 03 नए कानूनों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि अब 01 जुलाई 2024 से इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोजीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। अपराध की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर विचार किए बिना जीरो एफआईआर दर्ज करनी होगी। महिला शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहतीं तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की सुविधा शुरू की जाएगी। आईपीसी में धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया था तथा धारा 376 में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान था। बीएनएस में इसे धारा 63 और 64 में परिभाषित किया गया है। धारा 64 में इन अपराधों के लिए सजा बतायी गयी है। दुष्कर्म के मामलों में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 18 साल से कम उम्र की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में अभी तक दोषी को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान था. प्रस्तावित बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दण्ड की सजा तक हो सकती है। बीएनएस में धोखाधड़ी या झूठ बोलकर किसी महिला से संबंध बनाना या फिर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। बीएनएस के अंतर्गत अब देश में कहीं भी जीरो एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। अब तक जीरो एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थीं 15 दिन के भीतर जीरो एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। छोटे-छोटे मामलों और तीन साल से कम सजा के अपराधों के मामलों में समरी ट्रायल किया जाएगा। विवचेक को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर न्यायालय अतिरिक्त समय दे सकती है। 180 दिन यानी छह महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। न्यायालय को 60 दिन के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में 7 दिन का ही समय मिलेगा। अगर किसी दोषी को मौत की सजा मिली है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है, तो 30 दिन के भीतर दया याचिका दायर करनी होगी। बीएनएस में मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी की सजा तक देने की व्यवस्था की गयी है। अभी तक मॉब लिंचिंग के लिए सजा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर धारा 101 (2) में सजा का प्रावधान है। बीएनएस में हत्या के लिए धारा 101 में सजा का प्रावधान है। इसमें दो सब-सेक्शन हैं , धारा 101(1) कहती है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा, बीएनएस में हत्या की कोशिश के मामले में धारा 107 के तहत एक्शन होगा। बीएनएस में भगोड़े अपराधियों के विरूद्ध कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था, जब वो अदालत में मौजूद हो। लेकिन अब फरार घोषित अपराधी के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा। यानी कोर्ट में कार्यवाही नहीं रुकेगी , फरार आरोपी पर आरोप तय होने के तीन महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा. पहले 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित कर सकते थे, अब 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। नए कानून में आत्महत्या के प्रयास को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है। नए प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति किसी भी

लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो यह अपराध माना जाएगा और जेल की सजा निर्धारित की जाएगी। इसे सामुदायिक सेवा के साथ एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। बीएनएस में गवाहों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा। बयान दर्ज करने और साक्ष्य एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड की अनुमति दी गई है। सात साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अनिवार्य की गयी है। NCRB मोबाइल एप में नए आपराधिक कानूनों का संकलन किया गया है।

नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023) से आमजनमानस को जमीनी स्तर पर जानकारी देने हेतु 01 जुलाई 2024 को समस्त थानों में थाना क्षेत्र के गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्ति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें नये कानूनों के बारे में उपस्थित गणमान्य/सम्भ्रान्त व्यक्तियों को विस्तार से अवगत कराया जायेगा तथा प्रबुद्ध/सम्भ्रांत व्यक्तियों को नये कानूनों के सम्बन्ध में तैयार किये गये पम्पलेटों का वितरण किया जा रहा है। थाना क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रशिक्षण एवं अभियोजन निदेशालय द्वारा भेजे गए बैनर/पोस्टर लगाये जायेंगे तथा स्थानीय स्तर पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो से तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी नये कानूनों के प्राविधानों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 30.06.2024 थाना वजीरगंज</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी तमंचा 01 अदद मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-</u>

<u>कार्यवाहीः-</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त उदयभान पुत्र शिवराज पासवान निवासी ग्राम धनेश्वरपुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को भटपुरवा सड़क मार्ग पुलिया के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 283/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

आज दिनांक 30.06.2024 को थाना वजीरगंज के उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ग्राम भटपुरवा जाने वाली सड़क पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर अभियुक्त उदयभान पुत्र शिवराज पासवान निवासी ग्राम धनेश्वरपुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 283/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

01. उदयभान पुत्र शिवराज पासवान निवासी ग्राम धनेश्वरपुर थाना वजीरगंज जनपद गोंडा ।

<u>पंजीकृत अभियोग-</u>

01. मु0अ0स0- 283/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी-</u>

1. 01 अदद देशी तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 दुर्गेश कुमार
02. उ0नि0 हरिनारायण तिवारी
03. हे0का0 पंकज सिंह

<u>मीडीया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 30.06.2024 थाना वजीरगंज

जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त अख्तर पुत्र चहटा ग्राम पुराना वाजिद थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर को पकडिहवा धनेश्वर मदरसे के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 281/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 29.06.2024 को थाना वजीरगंज के उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय फोर्स रात्रि गस्त शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि ग्राम पकडिहवा धनेश्वर मदरसे के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर अभियुक्त अख्तर पुत्र चहटा ग्राम पुराना वाजिद थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना वजीरगंज में मु0अ0स0- 281/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अख्तर पुत्र चहटा ग्राम पुराना वाजिद थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 281/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमंचा मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 विश्वास कुमार चतुर्वेदी
02. हे0का0 विनोद कुमार सोनी
03. का0 रजत सिंह

प्रेस नोट
दिनांक 30.06.2024, वजीरगंज
जनपद गोण्डा।

थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत खेल में लगे इंजन से कीमती पार्ट खोलकर चोरी करने के 03 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे इंजन का नाजिल, पम्प,टंकी आदि बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में गठित थाना खोडारे पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-125/24, धारा 379, 411 भादवि से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्त 01. प्रमोधन, 02. भोला, व 03. संदीप उर्फ खट्टे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की **कब्जे इंजन का नाजिल, पम्प,टंकी आदि** बरामद कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री छेदीराम पुत्र तोखई प्रजापति निवासी ग्राम केशवनगर ग्राण्ट पश्चिमी थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 16.06.2024 को थाना खोडारे पर सूचना दिये वह सुबह खेत में काम करने पहुचा तो देखा की 01. प्रमोधन, 02. भोला, व 03. संदीप उर्फ खट्टे खेत में लगे इंजन के पार्टस खोल लिए है और इंजन भी धकेल कर ले जाने का प्रयास कर रहे है। उसके द्वारा शोर करने पर गाँव के लोगो के सहयोग से 03 चोरो को पकड़ कर उनके कब्जे से चोरी किये हुए इंजन के कीमती पार्टस बरामद हुए। तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे में मु0अ0सं0-125/2024 धारा 379, 411 भादवि बनाम 01. प्रमोधन, 02. भोला, व 03. संदीप उर्फ खट्टे के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना खोडारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. प्रमोधन पुत्र राजनरायन राजभर निवासी केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी नोनहाजोत, थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा
02. भोला पुत्र पटेसर यादव निवासी केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी नोनहाजोत, थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
03. संदीप उर्फ खट्टे पुत्र राममूरत निवासी केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी नोनहाजोत, थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 125/24, धारा 379, 411 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद डीजल इंजन का नाजिल
02. 01 अदद पंप
03. 01 अदद डीजल इंजन की तेल वाली टंकी

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामकेश चौधरी मय टीम।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.06.2024, थाना छपिया
जनपद गोण्डा।

थाना छपिया पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 200 ग्राम अवैध गाजा बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (200 ग्राम गाजा) के साथ अभियुक्त इरशाद पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम खालेगांव चिकमंडी थाना छपिया जनपद गोंडा को मसकनवा मनकापुर रोड़ पर गडरही के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना छपिया में मु0अ0स0- 180/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.06.2024 को थाना छपिया के उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मसकनवा मनकापुर रोड पर गडरही के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (200 ग्राम गाँजा) बरामद कर अभियुक्त इरशाद पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम खालेगांव चिकमंडी थाना छपिया जनपद गोंडा को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना छपिया में मु0अ0स0- 180/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. इरशाद पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम खालेगांव चिकमंडी थाना छपिया जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 180/2024 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 200 ग्राम गाँजा (अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह
02. हे0का0 सुरेन्द्र कुमार शर्मा
03. हे0का0 विजय कुमार
04. का0 अभिषेक कुमार सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 30.06.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 03 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं ने बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 03 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-
श्री गंगाधर शुक्ला, श्री शशी भारती, श्री यशोदानन्द त्रिपाठी, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक श्रीमती अनीता यादव, म0का0 शाहिना बानो, म0का0 ज्योति राजभर आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोंडा।